संख्या- 3/2026/420/001-83-1002-1-2024/1856860

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त सचिव,

होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग,

लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 22 अप्रैल, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ०प्र० के पत्रांक 350/अनु-2/बजट/2026, दिनांक 09.04.2026 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल विभाग के चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के 2070-अन्य प्रशानिक सेवायें-106 सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0301-सामान्य के अंतर्गत कुल व्यवस्थित धनराशि रू0 119.00 लाख (रू0 एक करोड़ उन्नीस लाख मात्र) में से रू० 111.64 लाख (रू० एक करोड ग्यारह लाख चौंसठ हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं|

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) आवंटित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

(3) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययियता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अत: यात्रा व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्यत: शासन तथा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 को बी0एम0-13 पर उपलब्ध करा दें।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखापरीक्षक) (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिये उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल, भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।
(7) बजट में प्राप्त धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) स्वीकृत धनराशि के आवंटन/व्यय के संबंध में विभाग स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन करते हुए धनराशि का व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2070001060301 (सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	027	2070001060301 सामान्य	01 वेतन	63,60,000 (रुपये तिरेसठ लाख साठ हजार मात्र)
2	027	2070001060301 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	41,34,000 (रुपये इकतालीस लाख चौंतीस हजार मात्र)
3	027	2070001060301 सामान्य	04 यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
4	027	2070001060301 सामान्य	07 मानदेय	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
5	027	2070001060301 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
6	027	2070001060301 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
7	027	2070001060301	49	3,00,000

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सामान्य	चिकित्सा व्यय	(रुपये तीन लाख मात्र)
8	027	2070001060301 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
	कुल			**1,11,64,000** **(रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख चौंसठ हजार मात्र)**

महायोग	1,11,64,000 (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख चौंसठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-3/2026/420(1)/001-83-1002-1-2024/1856860, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र० ।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन। (03 प्रतियों में)

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय सिंह

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।